<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

अपील/टीए/1930/2004/टोंक

1. लाला पुत्र भींवा जाति मीना निवासी ग्राम देवल्या तहसील देवली जिला टोंक

अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. छीतर
2. रत्तीराम
3. सीताराम
4. जयराम

   पिसरान मांगी लाल जाति मीणा निवासी देवल्या तहसील देवली जिला टोंक
5. कजोडी पुत्री सुखदेवा जाति मीना निवासी देवल्या पत्नी खाना हाल निवासी ग्राम भरनी तहसील एवं जिला टोंक
6. रामलाल पुत्र लादू जाति मीणा निवासी ग्राम भरनी तहसील व जिला टोंक
7. फोरिया उर्फ रंगलाल पुत्र लादू मीना नाबालिग जरिये संरक्षक पिता लादू पुत्र गोकुल मीना निवासी भरनी तहसील व जिला टोंक
8. लादू पुत्र गोकुल जाति मीना निवासी ग्राम भरनी तहसील एवं जिला टोंक

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवली जिला टोंक

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री वी.पी.सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वैभव कृष्ण पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 14.02.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 4–3–04 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद इस्तकरारहक,दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 10 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल पांच तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 23–8–99 से अपीलार्थी वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–3–04 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अभिभाषक नियुक्त कर

जबाब दावा प्रस्तुत किया था। जिससे प्रतिवादीगण ने कभी इन्कार नहीं किया है फिर भी प्रतिवादीगण की तलब नहीं होना मानकर अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है। यदि प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गलत तौर पर की गई थी तो प्रत्यर्थी उक्त डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत एकतरफा मंसूखी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन अपील में एकतरफा आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनका तर्क है कि जिन दो बिन्दुओं को तय करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उनको तय किये जाने हेतु पत्रावली पर पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने के बजाय स्वंय अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधिक भूल की है। प्रत्यर्थी को विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से रही है। इसलिये अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 2,4,7,9 व10 को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश दिया गया था और आगामी तारीख पेशियों में प्रत्येक आर्डर सीट में प्रतिवादीगण को तलब किये जाने का अंकन किया गया है किन्तु वादी द्वारा कोई तलबाना पेश नहीं किया गया। दिनांक 6–2–99 की आदेशिका में भी वादी द्वारा तलबाना पेश नहीं किये जाने का उल्लेख है किन्तु उसके बाद सीधे ही दिनांक 20–2–99 को प्रकरण साक्ष्य वादी में लगा दिया गया। तत्पश्चात वादी की एकपक्षीय साक्ष्य ली जाकर प्रकरण निर्णित कर दिया गया। जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो

पाया। जानकारी होने पर अपील पेश की। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में 2010(1) आर आर टी पेज 605, 2013(1) आर आर टी पेज466 की नजीरें पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 17–4–97 के बाद दिनांक 30–6–97 को नियत किया गया था किन्तु उक्त दिनांक को कोई आर्डर सीट लिखी ही नहीं गई है। आदेशिका दिनांक 25–7–97 में यह अंकित है कि पत्रावली टोंक से प्राप्त हुई है और प्रतिवादीगण संख्या 2,4,7,9 व 10 को पुनः नोटिस से तलब किया जावे। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 18–9–97 के बाद दिनांक 7–11–97, 19–1–98, 4–5–98, 29–5–98,10–7–98 व दिनांक 23–10–98 नियत की गई है। किन्तु वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु कोई तलबाना न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। इसके पश्चात दिनांक 20–2–99 को प्रकरण सीधे ही साक्ष्य में नियत किया गया है जो कि विधि विरूद्ध था। तत्पश्चात दिनांक 23–8–99 को एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि यदि प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गलत तौर पर की गई थी तो प्रत्यर्थी उक्त डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत एकतरफा मंसूखी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन अपील में एकतरफा आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति है कि

विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से वाद डिक्री किया गया है एवं एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी या तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत उसी न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। अतः उक्त सुस्थापित विधि को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन कि एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध अपील पोषनीय नहीं है, सारहीन प्रतीत होता है।

8. जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23 ए के अनुसार जहां प्रकरण का पुर्नविचारण आवश्यक समझा गया है वहां अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की शक्ति प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रत्यर्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का पुर्नविचारण आवश्यक होने पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में हम द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28–2–2019को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 1992 में दायर हुआ है जो कि काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को

आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम छ माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य